

प्रेषक,

संख्या-355/79-6-2018-304/2010

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2018

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं०-71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की चतुर्थ किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भ०प्रा०/5888/2017-18 दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू० 1000/- प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फंडिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू०-600/- एवं राज्यांश रू०-400/- प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू०-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू०-3605.50 लाख (रू० छतीस करोड़ पांच लाख पचास हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-2403.61 लाख (रूपया चौबीस करोड़, तीन लाख, इक्सठ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-6009.11 लाख (रू० साठ करोड़ नौ लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि चतुर्थ किस्त के रूप में संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्याह्न भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



-2/

वित्त नियंत्रक

उ. अ. व. दे. दे. दे.



8-3-18

(अब्दुल समद)


निदेशक

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा - 112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के+रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।


संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।
१/

संख्या-355(1)/79-6-2018-304/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 ।
- 2- श्रम आयुक्त कानपुर ।
- 4- निदेशक, कोषागार उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
- 10- वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 11- सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
- 12- सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 13- सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0 ।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०४ मार्च, 2018

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं०-71 के अन्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की चतुर्थ किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भ०प्रा०/5888/2017-18 दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू० 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू०-600/-एवं राज्यांश रू०-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू०-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू०-3605.50 लाख (रू० छतीस करोड़ पांच लाख पचास हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-2403.61 लाख (रूपया चौबीस करोड़, तीन लाख, इक्सठ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-6009.11 लाख (रू० साठ करोड़ नौ लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि चतुर्थ किस्त के रूप में संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्याह्न भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



--2/

5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा - 112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के+रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-355(1)/79-6-2018-304/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ०प्र०।
- 2- श्रम आयुक्त कानपुर।
- 4- निदेशक, कोषागार उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 10- वित्त नियंत्रक, म०भ००प्रा०/बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 11- सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
- 12- सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 13- सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा विभाग) उ०प्र०।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या, उ०प्र० लखनऊ।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

355/79-6/16


Enclosure of G.O.

**[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2017-18: Grant-71, PLAN: 4th Installment**

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 4th Installment		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	4901	61.88	41.26	103.14
2	02-Aligarh	4124	53.77	35.84	89.61
3	03-Allahabad	5991	83.56	55.71	139.27
4	04-Ambedkar nagar	3615	47.35	31.57	78.92
5	05-Auraiya	3169	40.93	27.28	68.21
6	06-Azamgarh	5882	72.67	48.45	121.12
7	07-Badaun	5044	65.53	43.68	109.21
8	08-Baghat	1366	17.81	11.87	29.68
9	09-Bahraich	7352	95.50	63.67	159.17
10	10-Ballia	6108	68.20	45.47	113.67
11	11-Balrampur	4085	53.26	35.50	88.76
12	12-Banda	3824	49.37	32.91	82.28
13	13-Barabanki	6739	85.45	56.97	142.42
14	14-Bareilly	5692	78.73	52.49	131.22
15	15-Basti	4080	56.83	37.89	94.72
16	16-Bhadohi	2126	27.51	18.34	45.85
17	17-Bijnour	3942	51.39	34.26	85.65
18	18-Bulandshahar	3333	46.47	30.98	77.45
19	19-Chandauli	2234	28.68	19.12	47.80
20	20-Chitrakoot	2282	29.65	19.76	49.41
21	21-Amethi	3376	44.01	29.34	73.35
22	22-Deoria	3846	50.16	33.44	83.60
23	23-Etah	3729	49.07	32.72	81.79
24	24-Faizabad	4157	54.20	36.13	90.33
25	25-Farrukhabad	4307	54.51	36.34	90.85
26	26-Fatehpur	4543	58.40	38.93	97.33
27	27-Firozabad	3721	48.51	32.34	80.85
28	28-G.B. Nagar	165	2.15	1.44	3.59
29	29-Ghazipur	5707	72.23	48.15	120.38
30	30-Ghaziyabad	159	13.82	9.22	23.04
31	31-Gonda	6683	85.98	57.32	143.30
32	32-Gorakhpur	5271	87.09	58.06	145.15
33	33-Hameerpur	1945	25.18	16.78	41.96
34	34-Hardoi	8142	106.15	70.77	176.92
35	35-Hathras	1930	27.14	18.10	45.24
36	36-Itawah	3574	46.60	31.06	77.66
37	37-J.P. Nagar	2330	30.37	20.25	50.62
38	38-Jalaun	2908	37.79	25.20	62.99
39	39-Jaunpur	7717	100.40	66.94	167.34
40	40-Jhansi	2740	34.59	23.06	57.65
41	41-Kannauj	3863	50.36	33.58	83.94

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार


20.2.18

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in GENERAL Category	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 4th Installment		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
42	42-Kanpur Dehat	4580	58.18	38.78	96.96
43	43-Kanpur Nagar	3064	39.62	26.41	66.03
44	44-Kaas Ganj	3082	39.25	26.16	65.41
45	45-Kaushambi	2032	26.50	17.66	44.16
46	46-Kushinagar	5022	64.55	43.03	107.58
47	47-Lakhimpur Kheri	7506	96.67	64.45	161.12
48	48-Lalitpur	3547	45.52	30.34	75.86
49	49-Lucknow	1891	25.06	16.70	41.76
50	50-Mahoba	1938	25.27	16.84	42.11
51	51-Mahrajganj	3850	48.29	32.20	80.49
52	52-Mainpuri	3934	51.37	34.24	85.61
53	53-Mathura	201	2.13	1.42	3.55
54	54-Mau	2466	31.61	21.08	52.69
55	55-Meerut	1644	21.43	14.29	35.72
56	56-Mirzapur	3652	50.95	33.97	84.92
57	57-Moradabad	2211	29.01	19.34	48.35
58	58-Muzaffarnagar	2188	28.11	18.74	46.85
59	59-Pilibhit	2972	38.15	25.43	63.58
60	60-Pratapgarh	6580	0.00	0.00	0.00
61	61-Rai Bareilly	4163	54.28	36.18	90.46
62	62-Rampur	3048	38.44	25.62	64.06
63	63-Saharanpur	2599	33.86	22.57	56.43
64	64-Santkabr Nagar	2552	32.83	21.89	54.72
65	65-Shahjahanpur	6144	78.56	52.38	130.94
66	66-Shrawasti	2337	30.46	20.30	50.76
67	67-Siddharthnagar	4049	64.85	43.23	108.08
68	68-Sitapur	7832	102.11	68.07	170.18
69	69-Sonbhadra	2480	32.29	21.53	53.82
70	70-Sultanpur	4438	57.88	38.58	96.46
71	71-Unnao	5065	65.73	43.82	109.55
72	72-Varanasi	2611	32.57	21.71	54.28
73	73-Sambhal	2796	35.71	23.81	59.52
74	74-Hapur	1024	13.35	8.90	22.25
75	75-Shamli	1312	17.66	11.75	29.41
Total		281512	3605.50	2403.61	6009.11

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

(अनूप कुमार शुक्ल)
समीक्षा अधिकारी
विद्या विभाग-6
उ० प्र० शासन

Edu-6 A.K. budget. 2018

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।